राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत संस्था पंजीकृत कराने हेतु आदर्श

संघ-विधान पत्र तथा विधान (नियमावली)

कृपया आवेदन करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखें:-

1. यह आदर्श विधान (नियमावली) व संघ विधान पत्र केवल मार्गदर्शन के लिए है। संस्था के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र अथवा संस्था के प्रबन्धन के स्वरूप के अनुसार इसमें आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन तभी मान्य होगा, जबकि वह सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के प्रतिकूल न हो।
2. प्रबन्धकारिणी में सृजित पद संस्था के अनुरूप घटाये या बढ़ाए जा सकते हैं। पद के नाम भी परिवर्तित किये जा सकते हैं, किन्तु प्रबन्धकारिणी में न्यूनतम 3 पदाधिकारी होना आवश्यक है।
3. संस्था के उद्देश्य सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अनुरूप ही होने आवश्यक हैं। सुविधा के लिये क्रमांक 9 पर धारा 20 अंकित है।
4. रिक्त स्थानों की पूर्ति संस्था द्वारा ही की जानी है।
5. आवेदन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था के तीन-तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर करवाया जाना आवश्यक है।
6. संघ विधान पत्र में क्रम संख्या 4 में संस्था की प्रबन्धकारिणी का विवरण ही अंकित करना है तथा क्रम संख्या 5 पर सभी आवेदक सदस्यों के नाम/पिता का नाम अंकित कर हस्ताक्षर करवाये जावे। यह भी ध्यान रखें कि कम से कम 7 सदस्यों द्वारा आवेदन करने पर ही संस्था पंजीकृत की जावेगी।
7. संघ विधान पत्र के अन्त में 2 साक्षियों के हस्ताक्षर करावें। साक्षीगण संस्था के सदस्य नहीं होने चाहिये।
8. अनावश्यक को काट कर लघु हस्ताक्षर करें।
9. धारा-20 : सोसाइटियां जिनका रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम के अधीन किया जा सकेगा:- इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित सोसाइटियों की रजिस्ट्री की जा सकेगी अर्थात्:-
   पूर्त प्रयोजनों के लिए स्थापित सोसाइटियां, सैनिक अनाथ निधियां, [1][खादी और ग्रामोद्योग], साहित्य, विज्ञान या ललित कलाओं की प्रोन्नति के लिये स्थापित सोसाइटियां, शिक्षण या उपयोगी जानकारी अथवा राजनैतिक शिक्षा के प्रसार के लिये स्थापित सोसाइटियां सदस्यों के साधारण प्रयोग के लिये या जनता के लिये खुले पुस्तकालयों या वाचनालयों के प्रतिष्ठान या अनुरक्षण और रंगचित्रों और अन्य कलाकृतियों के लोक संग्रहालयों और गैलरियों के लिए स्थापित सोसाइटियां, प्रकृतिक इतिहास के संकलनों और यांत्रिक और दार्शनिक आविष्कारों, लिखितों या अभिकल्पनाओं के लिये स्थापित सोसाइटियां।
10. राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर उसमें दिये गये निर्देशों की पूर्ति करते हुये विधान पत्र एवं विधान नियमावली के अनुसार ही प्रस्तुत किये जावे।
11. आवेदन पत्र के साथ अध्यक्ष, मन्त्री एवं कोषाध्यक्ष अथवा किन्हीं तीन पदाधिकारियों चाहे वे किसी भी पदनाम से जाने जावे, के राशन कार्ड की फोटो कापी/स्थाई निवास संबंधी प्रमाण-पत्र एवं प्रस्तावित संस्था के तीन पदाधिकारियों द्वारा पृथक्-पृथक् शपथ-पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप के अनुसार 10/- रुपये के पृथक्-पृथक् स्टाम्प पर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित कर प्रस्तुत किये जावे। शपथ पत्र पर शपथ ग्रहणकर्ता की पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा की जाकर प्रमाणित करवायी जावे।
12. आवेदन पत्र अधिकृत पदाधिकारी के द्वारा ही प्रस्तुत किया जावे। अनधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

1. राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग 4 (क) दिनांक 17-5-1995 द्वारा अन्त:स्थापित किया गया।

For - ASHA KIRAN
President Secretary Treasurer

9 (1)

13. आवेदन पत्र का पृष्ठ 12 नोटरी पब्लिक तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिये तथा शपथ पत्र नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित होना चाहिये।
14. ग्राम, मोहल्ला, कालोनी, विकास समितियों, नवयुवक मण्डल के पंजीयन हेतु आवेदित प्रार्थना पत्र में कार्य क्षेत्र के 60 प्रतिशत निवासी आवेदक सदस्य होने चाहिये।
15. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र व्यक्तिगत रूप से अधिकृत पदाधिकारी द्वारा पंजीयन हेतु पत्रावली (फाईल) के रूप में जिले के रजिस्ट्रार संस्थाएँ को व्यक्तिगत रूप से अथवा उनके कार्यालय में पत्र प्राप्ति शाखा में प्रस्तुत की जावे।
16. पंजीकृत संस्था के मूल पंजीयन पत्रादि अधिकृत पदाधिकारी/शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारियों को देय होंगे।
17. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबन्धकारिणी सदस्यों में से कम से कम तीन व्यक्ति शिक्षण कार्य अनुभव वाले होने चाहिये।
18. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबंधकारिणी सदस्यों में से एक सदस्य बी.एड. एवं दो सदस्य ग्रैजूएट होने आवश्यक हैं।
19. अन्य संस्थायें जिनके द्वारा शिक्षण, तकनीकी या अन्य कार्य जिसका की प्रशिक्षण दिया जाना है योग्यता या अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना उपयुक्त रहेगा।
20. रजिस्ट्रेशन फीस संबंधी अधिसूचनाएं पृष्ठ 24 पर देखें।

नोट :	रजिस्ट्रार संस्थाऐं द्वारा पंजीयन शुल्क जमा कराने के आदेश प्रदान किये जाने के उपरान्त ही पंजीयन शुल्क रजिस्ट्रार संस्थाऐं के हस्ताक्षर से ही जमा कराया जावे।

सेवा में,

श्रीमान् रजिस्ट्रार संस्थायें,

जयपुर

विषय : संस्था पंजीकरण हेतु।

महोदय,

निवेदन है कि हम आवेदकगण जिनका विवरण संलग्न संघ विधान पत्र में अंकित है आशा किरण - समाज सेवी संस्था के नाम से राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के तहत संस्था पंजीकृत करवाने के इच्छुक हैं।

कृपया हमारी संस्था का पंजीयन करने का आदेश प्रदान कर अनुगृहित करें।

भवदीय

Pushpa Goyal

(अध्यक्ष मंत्री)

संलग्न : संघ विधान-पत्र
तथा विधान (नियमावली)

Customer Sign In My Presence
&
ORIGINAL SEEN & VERIFIED
Emp. Name........
Emp. Code........333849

For - ASHA KIRAN
President Secretary Treasurer

(2)

आशा किरण - ~~समाज सेवी~~ संस्था ~~समिति/सोसाइटी/संस्थान~~/संस्था

संघ विधान-पत्र

1. **संस्था का नामः-** इस संस्था का नाम "आशा किरण" संस्था ~~समाज सेवी~~ ~~समिति/सोसाइटी/संस्थान~~/संस्था है व रहेगा।

2. **पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्रः-** इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय C-44A बापू नगर, जयपुर जयपुर जिला है तथा इसका कार्यक्षेत्र जयपुर जिला क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. **संस्था के उद्देश्यः-** इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1. संस्था के कार्य "न लाभ न हानि" के सिद्धान्त पर किये जायेंगे।
2. समाज के कमजोर वर्ग एवं रोगियों की सभी प्रकार से निःशुल्क सहायता करना जैसे औषधियां, भोजन, वस्त्र, धन, बच्चों की शिक्षा तथा पुनर्वास।
3. रोगियों तथा उनके परिजनों को मानसिक तौर पर पुनर्वासित करना।
4. जन साधारण में विभिन्न रोगों के प्रति, बचाव तथा इलाज में सावधानी रखने हेतु जन चेतना जागृत करना।
5. चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत अन्य राजकीय/निजी संस्थाओं की सहायता करना।
6. चिकित्सा हेतु आवश्यक मशीन/उपकरण, आदि क्रय करना/करवाना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

Pushpa Goyal
अध्यक्ष

मन्त्री

कोषाध्यक्ष

7. विभिन्न रोगों से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराने वाला साहित्य, पोस्टर, फोटो, फिल्म आदि तैयार करा कर वितरण करना/प्रदर्शनी लगाना, तथा इस कार्य राजकीय संस्थाओं की मदद करना।
8. रोगों की रोकथाम तथा चिकित्सा सम्बन्धी बैठकें, सेमिनार, विचार गोष्ठी आदि आयोजित करना।
9. ग्रामीण/शहरी बस्तियों में चिकित्सा शिविर लगाना।
10. उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यक्तियों, समूहों, बैंकों, सहकारी समितियों, विभिन्न ट्रस्टों, वित्तीय संस्थाओं, कम्पनियों, राज्य/केन्द्रीय सरकारों एवं राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं आदि से दान/सहायता/स्वत्व ग्रान्ट, भूमि-भवन आदि प्राप्त करना।
11. असहाय व्यक्तियों की सहायता हेतु जन सहयोग से प्राप्त सभी प्रकार की वस्तुओं को जरूरतमन्दों में वितरित करना।
12. शिक्षण संस्थाओं/सुधार गृहों/प्रशिक्षण संस्थानों आदि का निर्माण एवं संचालन करना तथा इन कार्यों हेतु राजकीय/अर्द्ध राजकीय/निजी संस्थाओं से भूमि भवन एवं अन्य सभी प्रकार की सहायता प्राप्त करना।
13. अन्य सभी कार्य जो विभिन्न रोगों की रोकथाम एवं इलाज में सहायक हों।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

Pushpa Goyal
अध्यक्ष

मन्त्री

कोषाध्यक्ष

For - ASHA KIRAN
President Secretary Treasurer

For - ASHA KIRAN
President Secretary Treasurer

Customer Sign In My Presence
&
ORIGINAL SEEN & VERIFIED
Emp. Name.........
Emp. Code.........